न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल म0प्र0

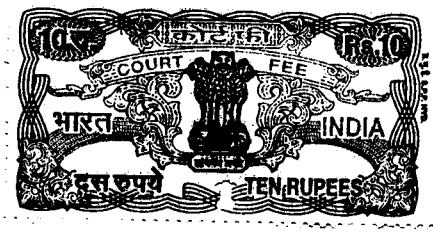

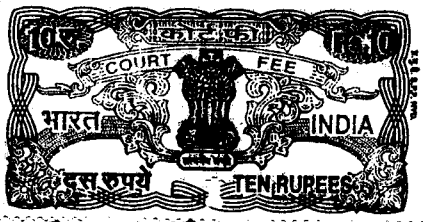

निगरानी 1714-PBR-15

1. सूरजदेवी बेवा बालकिशन दास

2. पुरूषोत्तम आ0 श्री बालकिशन दास माहेश्वरी

3. राजेश आ0 श्री बालकिशनदास माहेश्वरी

तीनो निवासी शोभापुर , तहसील - सोहागपुर

जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

4. नंदलाल आ0 स्व0 श्री बालकिशन दास माहेश्वरी

निवासी ग्राम शोभापुर , हाल मुकाम गिन्नी कम्पाउण्ड

होशंगाबाद , तहसील व जिला होशंगाबाद म.प्र. ——— निगरानीकर्तागण

श्री संदीप दुबे अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 4.6.15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। G/m 24-6-15

बनाम

1. श्रीमती लता बाहेती बेवा स्व0 श्री विजय कुमार बाहेती

2. सौरभ आ0 स्व0 श्री विजय कुमार बाहेती

3. शिरिन पुत्री स्व0श्री विजय कुमार बाहेती

तीनो निवासी - अशोका इंकलेव 0301 -ए अप्सरा टाकीज

के पास , रायसेन रोड भोपाल म.प्र. ——— उत्तरवादी

26-6-15

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता.

उपरोक्त निगरानी निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.5.2015 जिसका कि प्रकरण क्र. 2-अ/06 (अ) वर्ष 2014-2015 मौजा काजलखेडी एवं रनभोरा मे पारित आदेश से विपरीत प्रभावित होकर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत करता है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1714–पीबीआर/15 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–8–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार, सोहागपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–10–2014 के पुनर्विलोकन की अनुमति तहसीलदार, हरदा द्वारा मांगी गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुए कि राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 2708–एक/13 में पारित आदेश दिनांक 18–12–2013 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका कमांक 756/2014 प्रचलनशील है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30–1–2014 को आदेश पारित कर विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं । ऐसी स्थिति में तहसीलदार को पुनर्विलोकन की अनुमति दी जाना उचित नहीं है, पुनर्विलोकन की चाही गई अनुमति निरस्त की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	